न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 118/2023 अन्तर्गत धारा 88 **RT Act.**

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
मोटाराम पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार, निवासी मणिहारी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. इन्द्राराम पुत्र चेतनराम 3. सरूपाराम पुत्र चेतनराम 4. लहरोदेवी पत्नी चेतनराम 5. गोविन्दाराम पुत्र खुशालाराम 6. हडूमानराम पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार, निवासी मणिहारी तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 6 – श्री कैलाशसिंह राठौड़।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 31.01.2024

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की संयुक्त पैतृक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा मणिहारी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 382, 384, 385, 445, 446, 447 रकबा क्रमशः 15.7503, 0.0728, 16.5111, 0.9227, 1.4326, 2.9704 हैक्टेयर तथा मौजा जुनेजों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 346, 370 रकबा क्रमशः 21.8530, 25.9322 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए है, जिसमें वादी का 1/12 खातेदारी हिस्सा है। वादी को उक्त विवादित आराजी विरासत में प्राप्त हुई है ग्रामीण बाहुल्य का निरक्षर व्यक्ति है, जिसके जीविकापार्जन का एकमात्र साधन खेती करना है। उक्त विवादित आरजी के विरासती नामांतरकरण से खातेदारी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम मोटुराम पुत्र चेतनराम अंकित कर दिया गया जबकि वादी का सही एंव वास्तविक नाम मोटाराम पुत्र चेतनराम है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी, पैन कार्ड, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात में उसका सही एवं वास्तविक नाम मोटाराम पुत्र चेतनराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में मोटुराम पुत्र चेतनराम के स्थान पर मोटाराम पुत्र चेतनराम नाम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 द्वारा जरिये अधिवक्ता ईकबाली जवाब प्रस्तुत करते हुए वादी का नाम मोटुराम पुत्र चेतनराम के स्थान पर मोटाराम पुत्र चेतनराम किया जाना उचित बताया गया है।

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया। वादी द्वारा अपना वास्तविक नाम मोटाराम पुत्र चेतनराम होने के समर्थन में दस्तावेज यथा आधारकार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेज पेश किये गये।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम मोटुराम पुत्र चेतनराम के स्थान पर मोटाराम पुत्र चेतनराम होना घोषित करते हुए तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी अपनी बहस में वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तद्नुसार नाम दुरस्ती हेतु सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम मोटुराम पुत्र चेतनराम दर्ज है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी, राशनकार्ड, पैन कार्ड आदि में वादी का नाम मोटाराम पुत्र चेतनराम दर्ज है। वादी द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र से भी वादी का नाम मोटुराम पुत्र चेतनराम के स्थान पर मोटाराम पुत्र चेतनराम किये जाने का निवेदन किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम मोटुराम पुत्र चेतनराम के स्थान पर मोटाराम पुत्र चेतनराम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मणिहारी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 382, 384, 385, 445, 446, 447 रकबा क्रमशः 15.7503, 0.0728, 16.5111, 0.9227, 1.4326, 2.9704 हैक्टेयर तथा मौजा जुनेजों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 346, 370 रकबा क्रमशः 21.8530, 25.9322 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम मोटुराम पुत्र चेतनराम के स्थान पर मोटाराम पुत्र चेतनराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शिव जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner